

हारुण खान बनाम तहसीलदार चौहटन
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


तारीख
हुकम

नम्बर
अहकाम
की तारीख

04.03.24

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान विप्रार्थी संख्या 2 के बीच गांव के मौजीज लोगों ने राजीबाजी कर दिया है इसलिए लोक अदालत की भावना से यह आवेदन आगे नहीं चलाना चाहते हैं, विद्धो करना चाहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर यह आवेदन विद्धो किये जाने का आदेश जारी किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त विद्धो प्रार्थना-पत्र पर अनापत्ति प्रकट की गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली मय अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 के मध्य राजीनामा होने से यह आवेदन नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 जरिये विद्धो निर्णीत करने का निवेदन किया है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) में यह प्राविधित है कि जिला कलक्टर को स्वतः संज्ञान द्वारा अथवा किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर आवंटन को निरस्त करने की शक्ति होगी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धोखे अथवा मिथ्याव्यपदेशन अथवा नियम विरुद्ध आवंटन कराया है अथवा आवंटन की शर्तों का भंग किया हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हुए आवंटन को नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया है तथा तथ्य सहित प्रकट किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं होने से आवंटन हेतु पात्र नहीं था। इस आवेदन पत्र में जांच एवं सुनवाई हुए बिना पक्षकारान का न्यायालय से बाहर राजीनामा हो जाने से जरिये विद्धो खारिज करने का निवेदन किया है। चूंकि आवंटन के संबंध में इस आवेदन के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की पात्रता के संबंध में आक्षेप हमारे ध्यान में लाया गया है जिसकी जांच कर उचित निश्चय किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का यह विद्धो प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ओर से आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 विद्धो किया जाता है। साथ ही तहसीलदार चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा इस आवेदन में प्रकट तथ्यों के संबंध में जांच कर सत्यापन किया जावे एवं यदि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हुआ आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त योग्य पाया जाता है तो तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत करें। यह प्रार्थना-पत्र जरिये विद्धो खारिज किया जाता है जो निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हों एवं दाखिल दफ्तर हों। तहसीलदार चौहटन को आदेशिका मय आवेदन पत्र की सहमति प्रति पालनार्थ प्रेषित हों।


जिला कलक्टर
बाडमेर

